


# सूचना के अधिकार अधिनियम 2005



बिन्दु क्रमांक 1 से 17 की जानकारी

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

1. शासन द्वारा 25 मार्च 1992 में जिला शहरी विकास अभिकरण की स्थापना की गई ।
2. जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा जिले की नगर पालिका/नगर पंचायतों में शासन द्वारा संचालित योजना का क्रियान्वयन कराया जाता है ।
3. राज्य एवं केन्द्र शासन के प्रदत्त ऋण एवं अनुदान आवंटन अनुरूप निकायों में निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार राशियों का पुनरावंटन किया जाता है ।
4. कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास), होशंगाबाद ।
5. कार्यालय खुलने का समय 10.30 बजे पूर्वान्ह ।
6. कार्यालय बंद होने का समय 5.30 अपरान्ह ।

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

बिन्दु क्रमांक-1 ब

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## जिला शहरी विकास अभिकरण के कृत्य

जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा जिले की नगरीय निकायों में प्रशासन का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करेगी और राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये समस्त कृत्य तथा सौंपी गई समस्त योजना का क्रियान्वयन किया जाना है ।


कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

बिन्दु क्रमांक-2

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

क्रं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मुख्यालय	कर्तव्य
1.	श्री बी.बी.तिवारी	परियोजना अधिकारी	होशंगाबाद	समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं परीक्षण
2.	श्री आर.डी.शर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी	होशंगाबाद	—''—
3.	श्री टी.आर.साहू	सहायक ग्रेड-3,	होशंगाबाद	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम, पर्यावरण सुधार योजना, स्टोर शाखा
4.	श्री एस.के.सोहनी	सहायक ग्रेड-3	होशंगाबाद	लेखा एवं स्थापना शाखा का समस्त कार्य
5.	श्री एस.के.शर्मा	सहायक ग्रेड-3	होशंगाबाद	स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, एवं अन्य योजनाएं
6.	श्रीमती शकुन्तला पर्वार	सहायक ग्रेड-3	होशंगाबाद	आवक जावक, जनश्री बीमा योजना

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय की प्रक्रिया



**कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद**  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

क्रं.	योजना का नाम	विभागीय कृत्यों के निर्वहन के मानक		
1.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम :-	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र हितग्राहियों रूपये 50,000/- तक का ऋण बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है जिसमें 15 प्रतिशत अनुदान, 5 प्रतिशत हितग्राहियों का अंशदान रहता है ।
		2.	शहरी रोजगारप्रशिक्षण कार्यक्रम	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पात्र हितग्राहियों को विभिन्न ट्रेडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को मानदेय भी देय रहता है ।
		3.	शहरी मजदूरी आधारित रोजगार निर्माण कार्यक्रम	गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के निर्माण कार्यों के द्वारा रोजगार सृजन कराया जाता है ।
		4.	अधोसंरचनात्मक सहायता	चयनित प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रशिक्षण स्तर उन्नयन हेतु स्वीकृत राशि का 15 प्रतिशत तक अधोसंरचनात्मक सहायता स्वीकृत की जा सकती है ।
		5.	महिला एवं बच्चों का विकास (डाब्का)	कम से कम 10 महिलाओं के एक समूह को बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.25 लाख का अनुदान दिया जाता है ।

		6.	सामुदायिक संगठन घटक	सामुदायिक विकास समिति के माध्यम से संचालित सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिविर, बालवाड़ी आदि का क्रियान्वयन ।
		7.	बचत एवं साख समिति	महिला हितग्राहियों के समूहों को एक वर्ष तक नियमित बचत करने पर अधिकतम 1000/- रुपये प्रत्येक सदस्य को अनुदान दिया जाता है ।
		8.	स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण	निकायों में संचालित प्रकोष्ठ के स्थापना हेतु आवश्यक सहायता दी जाती है ।
		9.	सूचना संप्रेषण	जनकल्याणकारी योजना की जानकारी हेतु सूचना शिविर, सूचना शिक्षा, समाचार, सूचना बोर्ड आदि पर व्यय ।
2.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम			नगर पालिकाओं की गंदी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएँ जैसे :- सड़क, नाली, पेयजल, हेण्ड पम्प खनन, पाइप लाइन विस्तार, विद्युत व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय का विकास इत्यादि ।
3.	पर्यावरण सुधार योजना			जिले की नगर पंचायत, क्षेत्रों की गंदी बस्तियों की मूलभूत सुविधाएँ:- सड़क, नाली, पेयजल, हेण्ड पम्प खनन, पाइप लाइन विस्तार, विद्युत व्यवस्था इत्यादि ।
4.	जनश्री बीमा योजना			जिले की नगर पालिका/नगर पंचायतों में गरीबी रेखा के नीचे/ थोड़ा ऊपर जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो का 100/- प्रत्येक व्यक्ति के मान से 25-25 व्यक्तियों के समूहों में 1 वर्ष की अवधि के लिए बीमा कराया जाता है ।

		<p>बीमित हितग्राही की उक्त अवधि में साधारण मृत्यु होने पर रूपये 20,000/- एवम् दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थायी अपंगता होने पर निम्न लाभ देय होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50,000/-</li><li>2. दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर 50,000/-</li><li>3. दुर्घटना में दो आंख या दो हाथ-पैर या एक आंख ओर एक हाथ या पैर अक्षम होने पर रूपये 50,000/-</li><li>4. दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रूपये 25,000/-</li></ol> <p>शिक्षा सहयोग भत्ता :- शामिल सदस्यों के अधिकतम दो बच्चों प्रति तिमाही 300/- रूपये का भुगतान शिक्षा सहयोग भत्ते के रूप में किया जायेगा । बशर्ते की दोनों छात्र कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के मध्य अध्ययनरत हो ।</p>
--	--	---

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

क्रं.	नियम अधिनियम
1.	नगर पालिका अधिनियम 1961

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

क्र.	अभिलेखों की श्रेणी	क्रं.	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार
1.	लेखा	1.	बजट	नस्ती
		2.	रोकड़ बही	पंजी
		3.	बिल पंजी	पंजी
		4.	आवंटन पंजी	पंजी
		5.	चैक एवं ड्राफ्ट पंजी	पंजी
		6.	लेखा संबंधी समस्त निर्देश इत्यादि	पंजी
2.	स्थापना	1.	सेवा पुस्तिका संधारण	पुस्तिका
		2.	दौरा कार्यक्रम/निरीक्षण टीप	नस्ती
		3.	कार्यालयीन उपयोग में आने वाले समस्त नियम/अभिलेख	पुस्तक
		4.	जीपीएफ पासबुक पंजी	पंजी

		5.	वेतन देयक पंजी	पंजी
3.	1. स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना	1.	आवंटन एवं पुनरावंटन नस्ती एवं पंजी	नस्ती एवं पंजी
	2. राष्ट्रीय गंदी बस्ती एवं पर्यावरण सुधार योजना	2.	प्राप्त आवंटन एवं पुनर्वांटन नस्ती एवं पंजी	नस्ती एवं पंजी
4.	भंडार	1.	स्टाक रजिस्टर	पंजी
		2.	फर्नीचर/वाहन एवं भंडार संबंधी अन्य कार्य	पंजी
5.	आवक	1.	पंजी का संधारण	पंजी
6.	जावक	1.	पत्रों को जावक करना, डाक टिकिट का हिसाब रखना	पंजी

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

परामर्श दात्री समिति की संरचना

परामर्शदात्री समितिया इस कार्यालय के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक-8

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
कार्यालय के अंतर्गत आने वाले बोर्ड, परिषद एवं समितियां

क्रं.	समिति का नाम	स्वरूप / सदस्य	पद
	शासी निकाय	अध्यक्ष	जिलाध्यक्ष
		सचिव	परियोजना अधिकारी, जि.श.वि.अ.
		सदस्य	सांसद
		सदस्य	विधायक
		सदस्य	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जि०पंचायत
		सदस्य	अध्यक्ष नगरपालिका परिषद
		सदस्य	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
		सदस्य	सहा.आयुक्त आदिवासी विकास
		सदस्य	मुख्य नगरपालिका अधिकारी
		सदस्य (अशासकीय)	श्रीमती तेज कुबर सिसौदिया
		—“—	श्री राजेश तिवारी
		—“—	श्रीमती किरण खत्री

बिन्दु क्रमांक-9

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका

क्रं.	नाम	पद	दूरभाष	आवास	फैक्स	ई-मेल	पता
-------	-----	----	--------	------	-------	-------	-----

			कार्यालय		नंबर		
1.	श्री बी.बी.तिवारी	परियोजना अधिकारी	252211	253315	—	—	साकेत नगर, पी.डब्लू.डी. कालोनी, सदर, होशंगाबाद
2.	श्री आर.डी.शर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी	252211	253607	—	—	साकेत नगर, पी.डब्लू.डी. कालोनी, सदर, होशंगाबाद
3.	श्री टी.आर.साहू	सहायक ग्रेड-3,	252211	—	—	—	कोठीबाजार, होशंगाबाद
4.	श्री एस.के.सोहनी	सहायक ग्रेड-3	252211	—	—	—	हाऊसिंग बोर्ड कालोनी
5.	श्री एस.के.शर्मा	सहायक ग्रेड-3	252211	—	—	—	जुमेराती, होशंगाबाद
6.	श्रीमती शकुन्तला पर्वार	सहायक ग्रेड-3	252211	—	—	—	हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, होशंगाबाद

बिन्दु क्रमांक-10

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के वेतन संबंधी जानकारी

क्रं.	नाम	पद	मूलवेतन	मंहगाई भत्ता	योग
1.	श्री बी.बी.तिवारी	परियोजना अधिकारी	13,250 /—	7288 /—	20,538 /—
2.	श्री आर.डी.शर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी	6650 /—	3658 /—	10308 /—

बिन्दु क्रमांक-11

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

वर्ष 2005-06 योजनावार, बजट आवंटन एवं व्यय

क्रं.	शीर्ष मद	कार्य का नाम प्रयोजन	वर्ष	आवंटन	व्यय
-------	----------	----------------------	------	-------	------

1.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के संपूर्ण घटक	2005-06	2.00 लाख	2.00 लाख
2.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	नगर पालिकाओं की गंदी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना	2005-06	आवंटन अप्राप्त	—
3.	पर्यावरण सुधार योजना	नगर पंचायतों की गंदी बस्तियों की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना।	2005-06	आवंटन अप्राप्त	—

बिन्दु क्रमांक-12

### कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005  
विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की सूची आवंटन एवं लाभान्वित हितग्राही

क्रं.	योजना का नाम	जिला स्तर पर कार्यवाही	निकाय	वर्ष	आवंटित राशि	हितग्राहियों की संख्या
1	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम	—	—	2005-06	2.00 लाख	—

2	शहरी रोजगारप्रशिक्षण कार्यक्रम	—	—	—	—	—
3	शहरी मजदूरी अधो.रोज.नि.कार्यक्रम	—	—	—	—	—
4	अधोसंरचनात्मक सहायता	—	—	—	—	—
5	महिला एवं बच्चों का विकास	—	—	—	—	—
6	सामुदायिक संगठन घटक	—	—	—	—	—
7	बचत एवं साख समिति	—	—	—	—	—
8	स्थानीय निकायों का सुदृढीकरण	—	—	—	—	—
9	सूचना संप्रेषण	—	—	—	—	—

बिन्दु क्रमांक—13

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकार पत्र आदि प्रदाय नहीं किए जाते हैं ।

बिन्दु क्रमांक-14

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची, श्रेणी एवं प्रकृति

क्रं.	जानकारी का नाम	प्रकृति	
		हार्ड कापी	कम्प्यूटराइज्ड प्रपत्र
1.	स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना की प्रगति	हॉ	हॉ
2.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	हॉ	हॉ

3.	पर्यावरण सुधार योजना	हाँ	हाँ
4.	मूलभूत सुविधाओं के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति । (11 अ,11 ब एवं 15 )	हाँ	हाँ
5.	संपूर्ण शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत जिला स्तर के कार्यों की प्रगति एवं हितग्राहियों की सूची	हाँ	हाँ
6.	जनश्री बीमा योजना की सूची	हाँ	हाँ

बिन्दु क्रमांक-15

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सुविधाएँ

1. मासिक समाचार पत्र
2. अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से

3. सूचना पटल
4. अभिलेखों का निरीक्षण
5. दस्तावेजों के प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था
6. बेवसाइट पर जानकारी

बिन्दु क्रमांक-16

## कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी की जानकारी

क्रं.	नाम	पद	टेलीफोन	कार्यस्थल	कार्यवाही
1.	श्री आर.डी.शर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी	252211	कलेक्टर कार्यालय परिसर	प्रति सप्ताह मंगलवार समय 10.30 से 5.30

2.	श्री टी.आर.साहू	कार्यालय सहायक ग्रेड-3	252211	कलेक्टर कार्यालय परिसर	प्रति सप्ताह मंगलवार समय 10.30 से 5.30

बिन्दु क्रमांक-17

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, होशंगाबाद

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

अन्य प्रासंगिक की जानकारी

शासन द्वारा जारी निर्देशों से अवगत कराना

परियोजना अधिकारी,  
जिला शहरी विकास अभिकरण,  
होशंगाबाद